नगर विकास न्यास, जैसलमेर

संस्था से सम्बंधित सेवाओं के बारे में आमजन की सुविधा हेतू FAQ एव उत्तर

प्रश्न 1) मैने नगर विकास न्यास से आवंटित/निलामी/रुपांतरण भूखण्ड का विकय(हस्तांतरण) करना चाहता हुं विकय करने के लिए मुझें न्यास से क्या कारवाही करनी पडेगी?

उत्तर– इस हेतू आप कार्यालय में उपस्थित होकर हस्तांतरण अनुमति हुं आवेदन करना होगा।

प्रश्न 2) मैने नगर विकास न्यास से आवंटित/निलामी/रुपांतरण भूखण्ड का किसी अन्य से कय किया है नगर विकास न्यास के रिकार्ड में मेरा नाम किस प्रकार (नामांतरण) दर्ज हो सकता है।

उत्तर– आप कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन के साथ कय किये गये भूखण्ड की रजिस्ट्री की फोटो प्रति संलग्न कर नामांतरण हेत आवेदन करना होगा।

प्रश्न 3) मै मेरी कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तन करा कर ले–आउट प्लान अनुमोदित कराना चाहता हूँ। आवेदन कैसे करुँ ?

उत्तर– राजस्थान भू–राजस्थान भू–राजस्थान अधिनियम, 1956 (1956 कर अधिनियम सं. 15) की धारा 90–क के अधीन नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि केस सम्बंध में अनुज्ञा प्रदान करने के लिए आवेदन निम्नलिखित के साथ प्ररुप 1 में प्राधिकृत अधिकारी को किया जायेगा:

1. प्ररुप 2 में शपथपत्र: 50 रुपयें नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर
2. प्ररुप 3 में क्षतिपूर्ति बंधपत्र: 500 रुपयें नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर
3. इन नियमों के अधीन अधिसूचना द्वारा विहित प्रीमियम के 10 प्रतिशत की दर पर संगणित रकम के संदाय के सबूत के रुप में रसीद की प्रति:
4. भूमि का हक अर्थात् जमाबन्दी की प्रति, राजस्व नक्शे के अनुरेख की प्रति इत्यादि का अनुप्रमाणित सबूत:
5. उस स्थान के संबंध में जैसे विघमान पहूंच सडकें और स्थल के आसपास की अन्य भौतिक विशिष्टियां दर्शित करते हूए स्थल का उपयूक्त मापपान(1:15,00 से कम नही) में खीचां गया की–मैप
6. स्थल की न्यूनतम 200 मीटर की परिधि के भीतर के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए स्थल का सर्वेक्षण नक्शा/कुल स्टेशन सर्वेक्षण नक्शा 1:2,500 के मापमान में खीचा जायेगा जो निम्नलिखित दर्शित करेगा:–
   - (क) खसरा संख्याएंस या, यथास्थिति, भूखण्ड संख्याए दर्शित करते हुए पूर्वोक्त भूमि और पार्श्व के क्षेत्रों की सीमाएं:
   - (ख) विघमान संरचनाए, कच्ची या पक्की और उपयोग जिसके लिए खडी की गयी:
   - (ग) मास्टर योजना/सेक्टर योजना/सडक नेटवर्क योजना में दर्शित विघमान और प्रस्तावित संडको का ब्यौरा और उनके प्रमुख लक्षण:
   - (घ) प्रस्तावित स्थल तक पहूँच सडकें:
   - (ड) हाई/लो टेन्शन विधुत लाइनें और ट्रांसफार्मर
   - (च) तेल/गैस आपूर्ति लाइन
   - (छ) अन्य विघमान भौतिक विशिष्टिता जैसे नाला, जल निकाय, कूएं की विघुत लाइने, टेलिफोन लाइने, जल प्रदाय और मल वहन लाइने इत्यादि और पहूंच सडकों के सम्बध में स्थल की सतह और समुचित मापमान में परिधि रेखा

प्रश्न 3) ट्री–गार्ड लेने के संबध में क्या करें ?

उत्तर– नगर विकास न्यास द्वारा व्यक्ति विशेष/संस्था को ट्री–गार्ड उपलब्ध नही करते हैं।

प्रश्न 4) अतिक्रमण के बारे में शिकायत कहा करे ?

उत्तर– नगर विकास न्यास के क्षेत्राधिकार में हो रहे अतिक्रमण के बारे में आप न्यास कार्यालय में अथवा मुख्यंमत्री हेल्प लाइन पर शिकायत दर्ज करवा सकते है।

प्रश्न 5) सामुदायिक कें‍न्द्र का आरक्षण कैसे करें ?

उत्तर– जैसलमेर में नगर विकास न्यास द्वारा निर्मित कोई सामूदायिक केन्द्र नही है

प्रश्न 6) नगर विकास प्रन्यास द्वारा आवंटित भूखंड पर निर्माण कराना चाहता है। परमिशन के लिए क्या करुँ?

उत्तर– इस हेतू आप नगर विकास न्यास कार्यालय में भूखण्ड निर्माण के नक्शे के साथ आवेदन कर सकते है।

प्रश्न 7) उपविभाजन/पुनर्गठन के लिए आवेदन कैसे करुँ ?

उत्तर– इस हेतु आप नगर विकास न्यास कार्यालय में उपविभाजन/पुनर्गठन के लिए आवेदन व आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते।

प्रश्न 8) दस्तावेज/मानचित्र की प्रति प्राप्त कैसे करें ?

उत्तर– नगर विकास न्यास की रिकॉर्ड शाखा में सम्बंधित दस्तावेज/मानचित्र की प्रति के लिए नगर विकास न्यास कार्यालय पर निर्धारित प्रारुप में सूचना भर वांछित सूचना प्राप्त कर सकते है।

प्रश्न 9) लीज मुक्ति प्रमाण पत्र के लिए क्या करें ?

उत्तर– इस हेतू नगर विकास न्यास कार्यालय में आप आवेदन करना होगा न्यास द्वारा उक्त भूखण्ड के पेटे लीज राशि से अवगत करवाया जायगा लीज मूक्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।

प्रश्न 10) रोड कटिंग की अनुमित का आवेदन कैसे करें ?

उत्तर– रोड कटिंग की अनुमति का आवेदन आवेदन द्वारा न्यास में उपस्थित होकर किया जा सकता हैं